न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज0
पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–03/2024 तारीख दायरा:–24.12.2024

अतरसिंह पुत्र जोरावर जाति माली निवासी ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।
——————वादी

बनाम

1. जोरावर पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब/सबरजिस्ट्रार तहसील नगर जिला डीग।
——————असल प्रतिवादीगण

3. लखन पुत्र जोरावर
4. बच्चू पुत्र जोरावर
5. दयाराम पुत्र जोरावर
   जातियान माली निवासीयान ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।
——————तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी वादीगण ।
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय दिनांकः–24.12.2024

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1230/0.31, 1231/0.10, 1232/0.20, 1233/0.09, 1234/0.50, 1237/0.09, 1238/0.04, 1239/0.19, 1240/0.06, 1253/0.20, 1255/0.08, 1256/0.05, 1257/0.13, 1260/0.15, 1261/0.07, 1262/0.10 कुल किता 16 रकबा 1.91 है0 तथा 1235/0.07, 1236/0.10, 1263/0.28 किता 3 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1251/0.09, 1252/0.15 किता 2 रकबा 0.24 है0 एंव खसरा नं0 1202/0.17, 699/0.89, 701/0.15, 864/0.33, 865/0.24, 867/0.19 किता 6 रकबा 1.97 है0, 836/0.22, 837/0.21, 838/0.34, किता 3 रकवा 0.77 है0 तथा 1259/0.06, 1258/0.07 बाके ग्राम तरोंडर तहसील नगर मे स्थित है जिसके सबूत मे जमाबंदी संवत 2074–77 पेश की है। उक्त विवादित आराजी मे असल प्रतिवादी संख्या 01 जोरावर पुत्र गिर्राज पिता वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जो असल प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पिता गिर्राज पुत्र सुखदेव से नामांतरकरण संख्या 490 ग्राम तरोंडर से विरासत मे दिनांक 02.10.1999 को

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

प्राप्त हुई है जो वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण की पैत्रिक आराजी है। असल प्रतिवादी वादी को उसकी पैत्रिक आराजीयात से वंचित करने के आशय से तरतवीवी प्रतिवादीगण के हक मे रहन वय मुंतकिल करने की फिराक मे है, जिस बाबत असल प्रतिवादी ने दिनांक 08.12.2023 को ग्राम तरोंडर मे ऐलानियॉ धमकी दी है कि वह वादी को उसके पैत्रिक हिस्से से वेदखल कर देगा। जिसकी पूर्ती जरै नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी, विदि वजह वादी विरूद्व असल प्रतिवादी संख्या 1 डिकी डिक्लेरोशन धारा 40 राजरथान काश्तकारी अधिनियिम 1955 के तहत अपने पिता के जीवनकाल मे अपने हिस्से की पैत्रिक आराजी प्राप्त करने तथा विरूद्व असल प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

अत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय का डिकी डिक्लेरेशन जारी की जावे कि विवादित आराजीखसरा नम्बर 1230/0.31, 1231/0.10, 1232/0.20, 1233/0.09, 1234/0.50, 1237/0.09, 1238/0.04, 1239/0.19, 1240/0.06, 1253/0.20, 1255/0.08, 1256/0.05, 1257/0.13, 1260/0.15, 1261/0.07, 1262/0.10 कुल किता 16 रकबा 1.91 है0 तथाखसरा नं0 1251/0.09, 1252/0.15 किता 2 रकबा 0.24 है0तथा 1258/0.07 एंव खसरा नं0 836/0.22, 837/0.21, 838/0.34, किता 3 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 1235/0.07, 1236/0.10, 1263/0.28 किता 3 रकबा 0.45 है0 बाके ग्राम तरोंडर तहसील नगर मे असल प्रतिवादी संख्या 01 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा 1/4 को कलमजन कर वादी को 1/20 हिस्से पर तथा असल प्रतिवादी संख्या को 1/20 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को 3/20 हिस्से पर तथा खसरा नं0 1259/0.06 किता 1 रकबा 0.06 है0 एंव खसरा नं0 1202/0.17, 699/0.89, 701/0.15, 864/0.33, 865/0.24, 867/0.19 किता 6 रकबा 1.97 है0 बाके ग्राम तरोंडर तहसील नगर पर हो रहे असल प्रतिवादी संख्या 01 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा को कलमजन कर वादी को 1/5 हिस्से पर तथा असल प्रतिवादी संख्या को 1/5 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को 3/5 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तरतीवी प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा असल प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर इस आशय का जवाब दावा पेश किया है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादी को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। असल प्रतिवादी वृद्व व्यक्ति है जिसके भरण–पोषण की समस्त जिम्मेदारियॉ वादी एंव प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 पर है, लेकिन यह अपने नैतिक दायित्वो का पालन ना करते हुये प्रतवादी संख्या 1 की देखभाल भी नही करते है। वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी को मिल्लत कर हडप करने पर आमादा है ऐसी सूरत मे दावा वादी काविल खारिज किये जाने योग्य है, अत दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब दावा मे नियत थी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार नगर है जिनसे वादी द्वारा वाद पत्र मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है अत उनका जवाब पत्रावली मे अपेक्षित नही है। उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वादी अतरसिंह एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को उनका हिस्सा दिये जाने मे सहमति जाहिर की तथा फाइनल बहस सुने जाने हेतु उभय पक्ष के अधिवक्ता सहमत हुये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमे वादी अपने पिता के जीवनकाल मे ही अपना हिस्सा लेने का अधिकारी है इसलिये दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने दौराने बहस मुख्य रूप से कथन किया अतरसिंह वादी को उसके हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उसी तरह तरतीवी प्रतिवादीगण को भी अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने में मुझे कोई आपत्ति नही है, इस हेतु आदेशिका पर भी हस्ताक्षर किये। परन्तु वाद ग्रस्त आराजी पर बैंक से लोन लिया होने के कारण आराजी रहन मे दर्ज है अत वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 से 05 सभी के हिस्से पर बैंक ऋण का रहन हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। जमाबंदी अन्तिम चौसाला आधार सवंत 2074–77 ग्राम तरोंडर के खाता सख्या 132 मे वर्णित खसरा नम्बर 1230/0.31, 1231/0.10, 1232/0.20, 1233/0.09, 1234/0.05, 1237/0.09, 1238/0.04, 1239/0.19, 1240/0.06, 1253/0.20, 1255/0.08, 1256/0.05, 1257/0.13, 1260/0.15, 1261/0.07, 1262/0.10 कुल किता 16 रकबा 1.91 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उक्त जमाबंदी के खाता सख्या 582 के खसरा नं0 1235/0.07, 1236/0.10, 1263/0.28 किता 3 रकबा 0.45 है0 मे भी प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है, इसी उक्त जमांबदी का खाता संख्या 583 मे वर्णित खसरा नं0 1251/0.09, 1252/0.15 किता 2 रकबा 0.24 है0 मे भी प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमांबदी के खाता संख्या 133 मे वर्णित खसरा नं0 836/0.22, 837/0.21, 838/0.34, किता 3 रकबा 0.77 है0 मे भी प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त जमांबदी के खाता संख्या 488 मे वर्णित खसरा नं0 1258/0.07 मे भी प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त जमांबदी के खाता संख्या 134 मे वर्णित खसरा नं0 1259/0.06 व खाता संख्या 131 मे वर्णित खसरा नं. 1202/0.17, 699/0.89, 701/0.15, 864/0.33, 865/0.24, 867/0.19 किता 6 रकबा 1.97 है0, मे प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली मे संलग्न नामांतरकरण संख्या 490 निर्णय दिनांक 02.10.1999 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता गिर्राज पुत्र सुखदेवा से उक्त वाद ग्रस्त आराजी प्राप्त हुई है। अत स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक आराजी है और वादी पैत्रिक आराजी मे अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

वकील,

घोषित कराने का अधिकार रखता है, जिस बाबत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी सहमती प्रदान की गई है। अत वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अत आदेश है कि––

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम तरोंडर तहसील नगर के आराजी खसरा नम्बर 1230/0.31, 1231/0.10, 1232/0.20, 1233/0.09, 1234/0.05, 1237/0.09, 1238/0.04, 1239/0.19, 1240/0.06, 1253/0.20, 1255/0.08, 1256/0.05, 1257/0.13, 1260/0.15, 1261/0.07, 1262/0.10 कुल किता 16 रकबा 1.91 है0, खसरा नं0 1235/0.07, 1236/0.10, 1263/0.28 किता 3 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1251/0.09, 1252/0.15 किता 2 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 836/0.22, 837/0.21, 838/0.34, किता 3 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 1258/0.07 मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, अत प्रतिवादी संख्या 1 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा 1/4 को कलमजन कर वादी को 1/20 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 3/20 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा खसरा नं0 1259/0.06 व खसरा नं.1202/0.17, 699/0.89, 701/0.15, 864/0.33, 865/0.24, 867/0.19 किता 6 रकबा 1.97 है0, मे प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अत प्रतिवादी संख्या 01 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा को कलमजन कर वादी को 1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 3/5 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज भूमि बैक मे रहन है जिस बाबत वकील उभयपक्षकारा द्वारा घोषणा खातेदारी अनुसार संबंधित बैक का इन्द्राज किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है अत मुताबिक घोषणा खातेदारी अनुसार उभय पक्षकारान के हिस्से पर संबंधित बैक का इन्द्राज बदस्तूर रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे अकंन किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

बकाल.

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इत्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–03/2024 तारीख दायरा:–24.12.2024

अतरसिंह पुत्र जोरावर जाति माली निवासी ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।

------वादी

बनाम

1. जोरावर पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब/सबरजिस्ट्रार तहसील नगर जिला डीग।

----असल प्रतिवादीगण

3. लखन पुत्र जोरावर
4. बच्चू पुत्र जोरावर
5. दयाराम पुत्र जोरावर

जातियान माली निवासीयान ग्राम तरोडर तहसील नगर जिला डीग।

-----तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री राजाराम चौधरी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम तरोंडर तहसील नगर के आराजी खसरा नम्बर 1230/0.31, 1231/0.10, 1232/0.20, 1233/0.09, 1234/0.05, 1237/0.09, 1238/0.04, 1239/0.19, 1240/0.06, 1253/0.20, 1255/0.08, 1256/0.05, 1257/0.13, 1260/0.15, 1261/0.07, 1262/0.10 कुल किता 16 रकबा 1.91 है0, खसरा नं0 1235/0.07, 1236/0.10, 1263/0.28 किता 3 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1251/0.09, 1252/0.15 किता 2 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 836/0.22, 837/0.21, 838/0.34, किता 3 रकबा 0.77 है0, खसरा नं0 1258/0.07 मे प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, अत प्रतिवादी संख्या 1 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा 1/4 को कलमजन कर वादी को 1/20 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/20 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को 3/20 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा खसरा नं0 1259/0.06 व खसरा नं.1202/0.17, 699/0.89, 701/0.15, 864/0.33, 865/0.24, 867/0.19 किता 6 रकबा 1.97 है0, मे प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अत प्रतिवादी संख्या 01 जोरावर पुत्र गिर्राज के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा को कलमजन कर वादी को 1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 को

उपखण्ड अधिकारी

बकाल,

3/5 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकि असल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज भूमि बैक मे रहन है जिस बाबत वकील उभयपक्षकारा द्वारा घोषणा खातेदारी अनुसार संबंधित बैक का इन्द्राज किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है अत मुताबिक घोषणा खातेदारी अनुसार उभय पक्षकारान के हिस्से पर संबंधित बैक का इन्द्राज बदस्तूर रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड मे अकंन किया जावे।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.12.2024 को जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०